

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

106 – लाडनूं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री मुकेश कुमार भाकर

पता— ग्राम खारिया तहसील डीडवाना जिला नागौर) जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए।  
उपर्यक्त निर्वाचन क्षेत्र में उस सदन में स्थान भरने के लिए सभ्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान :- श्री बी.आर.मिर्धा राजकीय महाविद्यालय, नागौर।

तारीख :- 11 दिसम्बर 2018

राम सिंह राजावत  
रिटर्निंग अधिकारी  
106 लाडनूं विधानसभा क्षेत्र  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लाडनूं

FORM 21C

See rule (64)

(For use in General Election when Seat is Contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of the RAJASTHAN from 106 - LADNUN Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the people Act. 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules 1961, I declare that


**SHRI MUKESH KUMAR BHAKAR**

**Address - Village KHARIYA Tahsil DIDWANA District NAGPUR**

Sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (Name of the recognised/ registered political party) has been duly elected to fill the seat in that house from the above Constituency.

Place Sh. B.R. Mirdha Govt. College, NAGPUR

Date 11-12-2018

  
(RAMSINGH RAJAWAT)  
Returning Officer  
106 Ladnun Assembly Constituency